File No.CEA-SY-27-13/1/2020-Rajbhasha

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
राजभाषा अनुभाग
एनआरपीसी परिसर, कटवारिया सराय, नई दिल्ली
****

विषयः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवृत - अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.12.2021 को संपन्न बैठक का कार्यवृत सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संलग्न कार्यवृत्त को वेबसाइट से डाउनलोड करके तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाइयां करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

Signature Not Verified
Digitally signed by USHA VERMA
Date: 2022.01.17 15:55:45 IST

(…ा वर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. अध्यक्ष, केविप्रा के निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केविप्रा।
3. प्रधान मुख्य अभियंता-। एवं ।।
4. सचिव, केविप्रा के निजी सचिव।
5. केविप्रा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
6. केविप्रा के सभी अनुभाग/प्रभाग।
7. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
8. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री दिनेश चंद्रा, अध्यक्ष, केविप्रा की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को अपराह्न 5 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों की सूची अनुबंध में दी गई है।

बैठक के आरंभ में श्री उपेन्द्र कुमार, राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री दिनेश चंद्रा, अध्यक्ष, केविप्रा तथा विशेष आमंत्रित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, नामतः श्री गोरिट्याला वीरा महेन्दर, सदस्य (ई एंड सी), श्री वीके आर्य, सदस्य (जीओडी), श्री ए बालन, सदस्य (आयोजना), श्री गौतम राय, सदस्य (विद्युत प्रणाली), श्री पीसी कुरील, प्रधान मुख्य अभियंता-1, श्री सुजीत कुमार मंडल, प्रधान मुख्य अभियंता-2, श्री वीके मिश्र, सचिव, केविप्रा, और केविप्रा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस बैठक की कार्यसूची संक्षेप में बताई तथा आगे की चर्चा के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) को आमंत्रित किया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक में सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करने के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची की मदों पर विस्तार से चर्चा आरंभ की।

मद सं. 1: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की विभिन्न मदों की पुष्टि।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 03 सितंबर, 2021 को श्री गोरिट्याला वीरा महेन्दर, सदस्य (ई एंड सी) की अध्यक्षता में जी-मीट के माध्यम संपन्न हुई थी। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध करते हुए भिजवा दिया गया था। किसी प्रभाग/अनुभाग से कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई है।

अतः सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई ।

मद सं. 2 : केविप्रा की दिनांक 3 सितंबर, 2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अवगत कराया कि पिछली बैठक में मुख्यत: निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई थी:

i. केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना।

ii. केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना, ताकि 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
iii. केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी कार्रवाई पर चर्चा।
iv. वर्ष 2021 के सितंबर माह के दौरान हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले हिंदी पखवाड़ा समारोह की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी।
v. वार्षिक हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिक संख्या में प्रतिभागिता।

केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना- इस संबंध में सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अवगत कराया कि केवल कुछ प्रभागों/अनुभागों को छोड़कर, तिमाही रिपोर्टें समय से प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिससे इन्हें समेकित कर मंत्रालय/राजभाषा विभाग भिजवाने में विलंब होता है। इस कारण राजभाषा संबंधी पुरस्कारों के लिए केविप्रा को दिए जाने वाले अंकों में कटौती की जाती है।

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की तथा केविप्रा के सभी माननीय सदस्यों और प्रधान मुख्य अभियंताओं के विशेष सलाहकारों, तथा सचिव कार्यालय को यह दायित्व सौंपा कि वे अपने नियंत्रणाधीन प्रभागों/अनुभागों को तिमाही समाप्त होने के अगले माह की 10वीं तारीख तक राजभाषा की प्रगति संबंधी रिपोर्ट भेजने के लिए निरंतर स्मरण कराते रहें।

(कार्रवाई- केविप्रा के माननीय सदस्यों, प्रधान मुख्य अभियंताओं के विशेष सलाहकार, एवं सचिव कार्यालय तथा सभी प्रभाग/अनुभाग)

मद सं. 3: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा किए गए पत्राचार की समीक्षा।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने, 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को भेजे गए मूल पत्रों तथा फाइलों पर हिंदी में कार्य की स्थिति के बारे में समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने सूचित किया कि विगत तिमाही (जून, 2021) के दौरान 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के साथ किए गए मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमश: **94.66, 93.93 एवं 94.23** था, जो सितंबर, 2021 के दौरान क्रमश: **96.1, 95.1 एवं 95.7** है, जिसमें विगत तिमाही से सभी क्षेत्रों में पत्राचार में वृद्धि दर्ज की गई है।

इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए उन 20 प्रभागों/अनुभागों की प्रशंसा की गई जिन्होंने लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में मूल पत्राचार एवं फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखी हैं। साथ ही केविप्रा के उन प्रभागों/अनुभागों का भी उल्लेख किया गया जिन्हें मूल पत्राचार एवं हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कार्यालयी कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया तथा निर्धारित लक्ष्य से कम कार्य कर रहे प्रभागों/अनुभागों को वार्षिक राजभाषायी निरीक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि उनकी कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके एवं यथोचित सुझाव दिए जा सकें। साथ ही उन्होंने सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से मूल पत्राचार एवं टिप्पण को अधिकाधिक हिंदी में करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित करने का आह्वान किया।

(कार्रवाई: केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग)

मद सं. 4: केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अवगत कराया कि उत्तरी क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली, से अध्यक्ष, केविप्रा को संबोधित पत्र द्वारा केविप्रा की वेबसाइट के हिन्दी वर्जन में कुछ अंग्रेजी दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई थी तथा इनके हिंदी रूपांतर अपलोड कर वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। पत्र के अनुसरण में केविप्रा के राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक 23.07.2021 को परिपत्र जारी कर केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों को ई-मेल द्वारा सूचित किया गया तथा संबंधित बिंदुओं पर यथायोग्य कार्रवाई कर दिनांक 5 अगस्त, 2021 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया गया था। साथ ही राजभाषा अनुभाग द्वारा अनेक दस्तावेजों का हिंदी रूपांतर कर सचिव, केविप्रा एवं निदेशक प्रशासन सहित संबंधित अनुभागों/प्रभागों को ई-मेल द्वारा भिजवाया गया तथा वेबसाइट के हिन्दी वर्जन से अंग्रेजी दस्तावेज हटाकर हिंदी दस्तावेज अपलोड करने का आग्रह किया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान राजभाषा प्रभारी ने संबंधित प्रभागों को हिंदी वेबसाइट के हिंदी वर्जन पर अपलोड अंग्रेजी भाषा के विनियम के मसौदे हटाने का अनुरोध किया । पिछली बैठक में उपस्थित, निदेशक, प्रशासन को अवगत कराया गया था कि आरटीआई लिंक के सभी दस्तावेज हिंदी रूपांतर कर ई-मेल द्वारा भिजवा दिए गए हैं। निदेशक, प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। किंतु अभी तक किसी भी प्रभाग/अनुभाग से इस संबंध में न तो अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है, न ही केविप्रा की हिंदी वेबसाइट पर अंग्रेजी दस्तावेजों के स्थान पर उपलब्ध कराए गए हिंदी दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित प्रभागों से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: निदेशक प्रशासन/केविप्रा के संबंधित प्रभाग/अनुभाग)

मद सं. 5: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान केविप्रा मुख्यालय के संबंध में दिए गए सुझाव पर चर्चा।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि दिनांक 22 नवंबर, 2021 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण किया गया, जिसमें उस कार्यालय की अन्य बातों के साथ-साथ केविप्रा मुख्यालय द्वारा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में सुझाव दिया गया कि न्यूनतम 25 प्रतिशत

निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तदनुसार राजभाषा अनुभाग द्वारा इस वर्ष (2021-22 के लिए) मुंबई स्थित तीन कार्यालयों एवं चेन्नै स्थित एक कार्यालय के राजभाषायी निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण संपन्न करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग)

मद सं. 6: हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में चर्चा।

अध्यक्ष, केविप्रा महोदय के अनुमोदन से दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को जी-मीट के माध्यम से '**स्वतंत्र भारत में हिन्दी में कामकाज की अनिवार्यता**' विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्याख्यान देने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. पूरन चंद टंडन को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में केविप्रा मुख्यालय के अतिरिक्त दिल्ली स्थित केविप्रा के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी प्रतिभागिता की।

मद सं. 7: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सुश्री ऊषा वर्मा ने केविप्रा की वेबसाइट के अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों संस्करणों के 'नया क्या है' में सभी विषयों के प्रदर्शित होने की संभावना का अनुरोध किया। उनका मत था कि जो भी नई सूचना अंग्रेजी या हिंदी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, वह दोनों ही संस्करणों में प्रदर्शित हो तो दोनों वेबसाइट नहीं देखनी होगी।

अध्यक्ष महोदय ने आईटी प्रभाग को ऐसी संभावना तलाश करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: आईटी प्रभाग)

अंत में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा बैठक के अध्यक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्यगण, वरिष्ठ अधिकारियों एवं केविप्रा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई ।

अनुबंध

<u>बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची</u>

क्रम संख्या	श्री/सुश्री सर्वश्री/	पदनाम/प्रभाग ,अनुभाग	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
1.	दिनेश चंद्रा	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	गोरीत्याला वीर महेंद्र	सदस्य, ई एंड सी	विशेष आमंत्रित
3.	गौतम रॉय	सदस्य, विद्युत प्रणाली	विशेष आमंत्रित
4.	ए बालन	सदस्य, योजना	विशेष आमंत्रित
5.	वी के आर्या	सदस्य, हाइड्रो एवं जीओडी	विशेष आमंत्रित
6.	पीसी कुरील	प्रधान मुख्य अभियंता -1	विशेष आमंत्रित
7.	सुजीत कुमार मंडल	प्रधान मुख्य अभियंता -2	विशेष आमंत्रित
8.	वीके मिश्रा	सचिव, केविप्रा	विशेष आमंत्रित
9.	उपेंद्र कुमार	मुख्य अभियंता, पीसीडी एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य
10.	अशोक कुमार राजपूत	मुख्य अभियंता, आर एण्ड डी	सदस्य
11.	अशोक ठाकुर	मुख्य अभियंता, पीएसई एण्ड टीडी	सदस्य
12.	ईशान शरण	मुख्य अभियंता, पीएसपीए -1	सदस्य
13.	राकेश कुमार	मुख्य अभियंता, एचई एण्ड टीडी	सदस्य
14.	अजय तालेगांवकर	मुख्य अभियंता, एफ एंड सीए	सदस्य
15.	हेमंत जैन	मुख्य अभियंता, जीएम	सदस्य
16.	जे प्रसाद.एन.	मुख्य अभियंता, टीपीई एण्ड सीसी	सदस्य
17.	वीके सिंह.	मुख्य अभियंता, पीएसपीएम	सदस्य
18.	विजय मेघानी	मुख्य अभियंता, टीपीएमडी	सदस्य
19.	रिशिका शरन	मुख्य अभियंता,एनपीसी	सदस्य
20.	जेएस बावा	मुख्य अभियंता,एचपी एण्ड आई	सदस्य
21.	प्रवीण गुप्ता	मुख्य अभियंता, आईआरपी	सदस्य
22.	महीपाल सिंह	मुख्य अभिंयता, टीपीपी एंड डी	सदस्य
23.	रमेश कुमार	मुख्य अभिंयता, टीपीएम	सदस्य
24.	सीमा सक्सेना	मुख्य अभियंता, यूएमपीपी	सदस्य
25.	धीरज श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता, टीईटीडी	सदस्य
26.	रविंद्र कुमार जेना	आर्थिक सलाहकार, आर्थिक नीति	सदस्य
27.	अनीता गहलोत	निदेशक, प्रशासन	सदस्य

28.	पंकज गुप्ता	निदेशक,एचईटीडी	सदस्य प्रतिनिधि
29.	एस के महाराणा	निदेशक, ओपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
30.	सुमन बाला	उप निदेशक, ओपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
31.	गोपाल एन.के.	निदेशक, यूमपीपी	सदस्य प्रतिनिधि
32.	नरेश सैनी	पीपीएस, लीगल	सदस्य प्रतिनिधि
33.	अनिल रघुवंशी	उप निदेशक, आईटी	सदस्य प्रतिनिधि
34.	नगमा फुरकान	उप निदेशक, पीएसएलएफ	सदस्य प्रतिनिधि
35.	राकेश कुमार	उप निदेशक, एचईटीडी	सदस्य प्रतिनिधि
36.	मुकेश कुमार	उप निदेशक, एचपीआई	सदस्य प्रतिनिधि
37.	मोहित मुदगल	उप निदेशक, एसईटीडी	सदस्य प्रतिनिधि
38.	अनीता वर्मा	उप निदेशक, ओपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
39.	शरद भूपेश	उप निदेशक, सीईआई	सदस्य प्रतिनिधि
40.	लवकुश सिंह	उप निदेशक, डीपी एंड टी	सदस्य प्रतिनिधि
41.	सोवरन सिंह	सहायक निदेशक, ओपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
42.	दिपांशु रस्तोगी	सहायक निदेशक, एनपीसी	सदस्य प्रतिनिधि
43.	हिमांशु लाल	सहायक निदेशक, एनपीसी	सदस्य प्रतिनिधि
44.	रविकांत	सहायक निदेशक, पीएसपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
45.	पीके जायसवाल	परामर्शदाता, राजभाषा	राजभाषा
46.	डॉ ओम प्रकाश द्विवेदी .	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राजभाषा
47.	विकास कुमार	आशुलिपिक, राजभाषा	राजभाषा
48.	विनोद सिंह	आशुलिपिक, राजभाषा	राजभाषा
49.	ऊषा वर्मा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव